

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक न्यायाधीश (नियम 26)
वास्तु

अज अदालत..... मुकाम.....

रावगाराम बनाम लाम्भुराम कोर

किस्म मुकदमा नं. 111, 120 RRACT नं. 106/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/03/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री पुनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 120 RRACT राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 06/05/19 को पेश हो।	
06/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गणों के नोटिस तामिल काम तामिल प्राप्त। सामान्य प्रौद्योगिकी अधिकारी डिग्नर डायरी के वक्तव्य होने के सिवाय इन्तका डोट्टर आगामी दिनांक 21/05/19 को पेश हो।	
21/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गणों के नोटिस तामिल बुझा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली निम्न गणों। विप्रार्थी/गणों का वक्तव्य तामिल अनुपस्थित। सामान्य प्रौद्योगिकी अधिकारी पुनाराम डायरी के वक्तव्य होने के सिवाय इन्तका डोट्टर आगामी दिनांक 10/06/19 को पेश हो।	



26/12/2019/1038
प्रमाणित
सहायक सचिव

10/07/19

प्राथी वहील उपस्थित। विपरीतों के
सामान योग्यतः अधिकारी डिग्न कार्यों के लक्षण
होने से मिशाल इत्यादि जोड़ प्रमाणित दिनांक
26/08/19 को पेश हो।

26/08/19

प्राथी वहील उपस्थित। विपरीतों के अनुपस्थित।
सामान योग्यतः अधिकारी डिग्न कार्यों के लक्षण
होने से मिशाल इत्यादि जोड़ प्रमाणित दिनांक
17/12/19 को पेश हो।

17/12/19

प्राथी वहील उपस्थित। विपरीतों का वस्तु तामिल
अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन वाद आवाज कादि
गई, अंतिम आवाज 5-45 pm पर कादि गई विपरीतों
स्वयं या उनही कोरे से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं
हुआ सिवाजा उनसे बिना एडवरना प्रवेशी प्रमल
से कादि जाली है। प्राथी के अधिवक्ता की एडवरनीय वदस
सुनी गई, प्राथी के अधिवक्ता द्वारा कलमा की प्राथी व
विपरीतों के खेत सेना सेना आये हुए है। प्राथी व विपरीतों
जगो के खेतों के बीच जो पुरानी माठे व उगे आये हुए
थे जो पलमान से आदिमा की पजट से विचर गये है।
जिस कारण प्राथी व विपरीतों के बीच लनाजा बना
रहता है इस कारण प्राथी को अपने खेतों की
पक्की नैयामवनी करवाना आवश्यक है सिवाजा प्राथी का
नैयामवनी कावेदन स्वीकार किया जाइए नैयामवनी कावेदन
किया जावे। जिसमें लक्ष्मीलगा प्रमल रहे।

कारण प्राथी अधिवक्ता के विवेक पर
प्राथी का नैयामवनी कावेदन स्वीकार किया जाइए लक्ष्मीलगा
सीलगा रिगा को इमिशन व सम्बन्धित श्वे अभिलेख
मिनिस्ट्र को सहायक इमिशन नियुक्त किया जाइए कावेदन
किया जाता है कि प्राथी स्वयं या सहायक इमिशन से
प्राथी के खेतों की पक्की नैयामवनी माठे पर
इमिशन मुक्त जमाइगाइए करें। पाल्का रिपोर्ट प्राप्त होने पर
आगिल पसावली हो पसावली प्रमल आगा होइए इज
नम्बर से उम हो आविल इमल हो।

सहायक सचिव
26/12/2019

